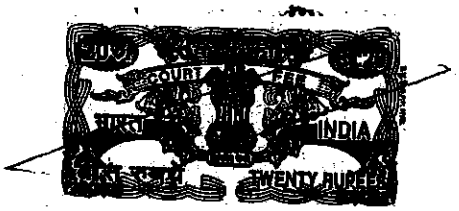

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2015-16 नि-3319-I-16

1. अर्पित जैन, 2. अभिषेक जैन पुत्रगण नरेन्द्र जैन निवासी-मन्नपुरा मुहल्ला टीकमगढ़ तहसील व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...निगराकारगण

बनाम

श्रीमति ज्योति पत्नि जिनेन्द्र कुमार जैन पुत्री संतोष कुमार जैन निवासी कटरा बाजार टीकमगढ़ म.प्र.

..उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ कार्यालय रा.नि.म. समर्रा तहसील व जिला टीकमगढ़ के प्र.क्रं. 62/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 से दुखित एवं परिवेदित होकर।

महोदय,

निगराकारगण की ओर से विनय सादर निम्न प्रकार है :-

1. यह कि निगराकार एवं उत्तरवादी के मध्य एक बंटवारा भूमि स्थित ग्राम माडूमर खास मण्डल समर्रा तहसील टीकमगढ़ का स्वीकृत हुआ, जिस बंटवारे के विरूद्ध उत्तरवादियां के द्वारा न्यायालय श्रीमान् एस.डी.ओ. टीकमगढ़ के समक्ष अपील की गई जिस अपील में उत्तरवादिया द्वारा राजीनामा किया गया और अपील निराकृत कर खारिज की गई, इस अपील प्रचलन दौरान उत्तरवादिया द्वारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा के समक्ष दिनांक 24.05.2016 को चालान जमा कर सीमांकन हेतु आवेदन दिया गया जिस आवेदन पर रा.नि. महोदय, द्वारा तारीख सुधरवाकर दिनांक 24.06.2016 की गई एवं दिनांक 20.07.2016 को हल्का पटवारी द्वारा नोटिस जारी किया गया कि दिनांक 22.07.2016 को सीमांकन किया जाना है, जिस सीमांकन में 22.07.2016 को स्थल पर जरीवे डालकर सीमांकन करना शुरू किया गया तो निगराकार ने स्थल पर पहुंचकर मना किया और बताया कि मेरी उर्दा की फसल बोई हुई है, कृपया वर्षाकाल के समय सीमांकन न करें, लेकिन निगराकार की बात नही मानी गई और नियम विरूद्ध तरीके से बोई हुई फसल पर जबरन बल पूर्वक सीमांकन किया गया और दिनांक 22.07.2016 की नोटसीट में ओवरराईटिंग कर जोड़ा गया कि "उक्त भूमि ख.नं. 2/2/ग/1/1 के अंश रकवा 0.101 पर"। एवं इस दिनांक के पश्चात् इश्तहार जारी किये बगैर 4 दिन में ही दिनांक 26.07.2016 को सीमांकन स्वीकृत कर दिया गया ऐसा आदेश विधि विधान व पत्रावली के सर्वथा प्रतिकूल होने से निरस्ती योग्य है।

क्रमशः...2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3319/I/2016 निगरानी जिला टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-10-2016	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री दुष्यन्त कुमार सिंह द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा, जिला टीकमगढ के प्रकरण कमांक 62/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-7-2016 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारॉश यह है कि, अनावेदिका कमांक-2 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2/2/ग/1/1 रकवा 0.442 हैक्टर पटवारी हल्का नम्बर 36 स्थित ग्राम माडूमर खास समर्रा, तह0 व जिला टीकमगगढ के सीमांकन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसे राजस्व निरीक्षक मण्डल समर्रा द्वारा प्र0क0 62/अ-12/2015-16 पर पंजीवद्व किया जाकर, आदेश दिनांक 26-7-2016 को सीमांकन किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए है कि अनावेदिका कमांक-2 द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त समर्रा के समक्ष दिनांक 24-5-2016 को चालान जमा कर सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया गया, उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा दिनांक 24-5-2016 की दिनांक को 24-6-2016 करवाया जाकर, दिनांक 22-7-2016 को सीमाकंन किये जाने वावत् दिनांक 20-7-2016 को हल्का पटवारी द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 22-7-2016 को स्थल पर जरीब डालकर सीमांकन करना शुरू किया गया तो आवेदकगण द्वारा स्थल पर पहुचकर उर्द की फसल बोई हुई होने एवं बर्षाकाल के समय सीमांकन न किये जाने का निवेदन किया गया, लेकिन राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा	

आवेदकगण का निवेदन न मानते हुये नियम बिरूद्ध तरीके से बोई हुइ फसल पर जबरन बल पूर्वक किया गया सीमाकंन निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि,पंचनामा दिनांक 22–7–2016 में लेख किया गया है कि कब्जे की भूमि निकलने पर हस्ताक्षर नहीं किये पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि हमारी जमीन 147 आरे पर्याप्त नहीं है नरेन्द्र के हस्ताक्षर है पंचनामा में कब्जा पाया गया के पश्चात ओव्हरराइटिंग कर 3 लाईने अतिरिक्त जोडी गई है। सीमाकंन प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा एक ही दिनांक को तैयार किये जाकर, आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई और नाही किसी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, मात्र 4 दिनों में ही सीमांकन सम्पादित कर स्वीकृत किया गया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा म.प्र.भू राजस्व सहिंता–1959 की धारा 129 एवं 130 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। शासन के नियमानुसार वर्षाकाल में सीमांकन नहीं किये जा सकते, जुलाई माह में फसल जुताई एवं बुवाई होने के कारण सीमांकन पर पूर्णतः रोक रहती है। अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 1995(2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 , 1992(1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्च न्यायालय) एवं 1998 आर0 एन0 106 (उच्च न्यायालय) का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक, मण्डल समर्रा का आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया, एंव प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि, भूमि खसरा नम्बर 2/2/ग/1/1 रकवा 0.442 हैक्टर के सीमांकन के पूर्व राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहदी काश्तकारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर मात्र 4 दिनों में ही सीमांकन कार्यवाही की गई है।

पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पंचनामा में 3 लाईन जोडी जाकर, ओव्हरराईटिंग कर आवेदकगण का विवादित भूमि के अंश रकवा 0.101 हैक्टर पर खरीफ फसल उर्द बोकर एंव फेसिंग लगाकर कब्जा दर्शाया जाकर सीमाकंन प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्डबुक, नक्शा एक ही दिनांक को तैयार किये है। राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129, का पालन किये बगैर शासन के नियमानुसार जुलाई माह में सीमांकन किये जाने पर पूर्णतः रोक होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से सीमाकंन किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता में प्रदत्त शाक्तियों का मनमाना प्रयोग किया गया है। इस कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, राजस्व निरीक्षक,मण्डल समर्रा द्वारा प्रकरण कमांक 62/अ—12/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 26—7—2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर